३३
३९/१९/२२५

नाथूलाल **बनाम** राम अवतार

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री दीपक पारीक श्री जमशेद चौधरी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
6.2.19	**नाथूलाल बनाम रामअवतार वगैरह** पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष की दिनांक 05.02.2019 को प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दोराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था वो संधारण योग्य नही था क्योंकि जिन्होने जो आवेदन पत्र पेश किया वह वाद में पक्षकार कायम नही थे उनकी कायम मुकाम की कार्यवाही विचाराधीन थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप स एवं मनमाने तौर पर अपीलांट को बेदखल करने व उनके हिस्से की आराजीयात पर ऋण लेने व विरासत का नामान्तकरण खोलने का जो आदेश पारित किया है वह पूर्णतयो गलत व विधि विरूद्ध हैं । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना को स्थगित नहीं किया तो प्रार्थी/अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी तथा प्रार्थी/अपीलांट का अपील प्रस्तुत करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलांट के पक्ष मे है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 22.01.2019 की पालना ताफैसला अपील स्थगित फरमीय जाकर राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में आर.आर.टी. 2018 (2)पेज 1505 को न्यायिक दृष्टांत पेश किया। अभिभाषक केवियटकर्ता ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार हम है और रिकार्डेड खातेदार को किसान क्रेडिट कार्ड या अपनी खेती का विकास करने से वंचित नहीं किया जा सकता है ना ही उसे जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जा सकता है। अपीलांट ने जो अपील प्रस्तुत की है वो न्यायालय में पोषणीय नही हैं इसलिए खारिज योग्य है इसलिए खारिज की जावें। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात व न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अभिभाषक अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अन्तरिम आदेश दिनांक 22.01.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध पेश की हैं जो मान्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की फुल बेंच द्वारा ''जगदीश प्रसाद बनाम भोपालराम'' में पारित निर्णय के अनुसार यह अपील न्यायालय के क्षैत्राधिकार की नही हैं इसलिए खारिज योग्य है किन्तु प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। न्यायहित में एवं पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित	
राजस्व अपील अधिकारी अजमेर		लगातार

इ६
२१/११/२२५

नाथूलाल बनाम राम अवतार वगै.

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री इंदिरा पारीक श्री बाबूलाल जोशी	नम्बर व तारीख अह[illegible] जो इस हुक्म का तामील मे जारी हुए
लगातार	समझते है कि वे अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णित करें। **अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।** (हस्ताक्षर) राजस्व अपील अधिकारी अजमेर	